UNI, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC notice to Chief Secretary, Punjab, over alleged irregularities by doctors

http://www.uniindia.com/nhrc-notice-to-chief-secretary-punjab-over-alleged-irregularities-by-doctors/india/news/2975239.html

New Delhi, May 19 (UNI) National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Chief Secretary, Government of Punjab, over alleged irregularities and dereliction of duties of doctors and staff at GND Hospital in Punjab’s Amritsar, calling for a detailed report in the matter within four weeks. The Commission has sought the reports regarding steps taken or proposed to be taken to address the issue raised in the news report as well as action taken against the doctors and the staff found guilty in the matter, NHRC said in a statement. The Commission took suo motu cognizance of a media report that the doctors and senior staff of the Guru Nanak Dev Hospital (GNDH) in Punjab’s Amritsar are allegedly not sincerely doing their lawful duty to attend the patients. Most of them allegedly habitually leave the patients at the mercy of the housekeeping and training staff and depart early. Reportedly, it has also been alleged that the patients are subjected to ill-treatment and threatened that they will be discharged if any complaint is made against them, the statement said. According to the media report, carried on May 17, it took hours to give prescribed medicines and injections to a patient by the nursing staff of the hospital, claimed the statement. UNI CM SSP

PUNJAB KESARI, Ludhiana, 20.5.2023
Page No. 4, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

डाक्टरों की लापरवाही पर मानवाधिकार आयोग ने चीफ सैक्रेटरी को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़, 19 मई (हांडा): अमृतसर के गुरुनानक देव अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही, मरीजों का सही इलाज नहीं करने और शिकायत करने पर डिस्चार्ज की धमकी देने की मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आयोग ने लापरवाह डाक्टरों व अन्य आरोपी स्टाफ पर कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा है।

ANI, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notice to West Bengal govt over deaths, injuries at illegal fireworks factory

https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-issues-notice-to-west-bengal-govt-over-deaths-injuries-at-illegal-fireworks-factory20230519192313/

New Delhi [India], May 19 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to the West Bengal government over the reported deaths of nine labourers and injuries to several others in an explosion at an illegal fireworks factory in East Midinipore district.The NHRC, India has taken suo motu cognizance of a media report that nine labourers were killed and at least five others were injured when an explosion ripped through an illegal fireworks factory at Khadikul village near Egra in East Midinipore district of West Bengal on May 16, 2023. Reportedly, the villagers claimed that the owner of the factory has long been engaged in the making of bombs, besides fireworks but no visible action was taken by the authorities despite complaints.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of the victims of the explosion due to the negligence of the concerned public authorities, who apparently did not take any action against the owner of the illegal fireworks factory.Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, West Bengal calling for a detailed report on the matter within four weeks. It should include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the Next of Kin of the deceased persons, and the injured. The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent officers, responsible for the tragedy, the statement from NHRC said.

According to the media report, carried out on May 17, 2023, the incident triggered mob fury as the villagers scuffled with the police, accusing them of a nexus with the factory owner who had been allowed to run the illegal factory despite their repeated appeals for its closure. The villagers have claimed that at least 15 labourers were working inside when the blast occurred, the statement added. (ANI)

NEWS NATION, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

एनएचआरसी ने झारखंड में आदिवासी लड़की से बर्बरता पर डीजीपी और सीएस से चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

https://www.newsnationtv.com/india/news/national-human-right-commiion-372407.html

रांची: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड के पलामू जिले के जोगीडीह में पंचायत के फरमान पर एक लड़की का सिर मुंडवाने, उसकी पिटाई करने, उसके गले में जूते की माला पहनाकर जुलूस निकालने और फिर रात में जंगल में छोड़ देने की घटना की मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि इस घटना की खबर सबसे पहले आईएएनएस एजेंसी ने जारी की थी। जिस आदिवासी युवती के साथ यह बर्बर सलूक हुआ था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उसकी मर्जी के बगैर घर-समाज की ओर से तय की गई शादी को मानने से इनकार कर दिया था।

मानवाधिकार आयोग ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह ग्राम पंचायत के इशारे पर पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह के अनैतिक और गैरकानूनी कृत्य के अपराधियों को विधिसम्मत शासन वाले एक सभ्य समाज में बख्शा नहीं जा सकता है।

आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से कहा गया है कि इस मामलें में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, पीड़ित लड़की के चिकित्सा उपचार और यदि कोई मुआवजा दिया गया हो, तो उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध कराई जाए।

आयोग ने कहा है कि अधिकारियों से रिपोर्ट में पीड़िता को दिए गए मुआवजे की किस्त के संबंध में सूचित करने की अपेक्षा की जाती है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे मिलना चाहिए। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पीड़ित लड़की, जिसने शारीरिक पीड़ा, अपमान और सामाजिक कलंक का आघात झेला है, को दिए जाने वाले मानसिक परामर्श की स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। आयोग इस दु:खद घटना के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

16 मई, की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता 20 अप्रैल, 2023 को अपनी शादी के दिन भाग गई थी। 20 दिन बाद जब वह गांव लौटी तो उसे सजा देने के लिए पंचायत की बैठक बुलाई गई। पंचायत के फरमान पर उसे प्रताड़ित कर गांव में घुमाने के बाद रात में जंगल में छोड़ दिया गया, जहां से पुलिस द्वारा अगले दिन उसे बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कथित तौर पर, उसके माता-पिता की आठ साल पहले मृत्यु हो गई थी और वह भाई और दो बहनों के साथ रह रही है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

JANTA SE RISHTA, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

एनएचआरसी ने अवैध पटाखा फैक्ट्री में मौतों, चोटों पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-issues-notice-to-west-bengal-govt-over-deaths-injuries-at-illegal-fireworks-factory-2351576

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को पूर्वी मिदिनीपुर जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में नौ मजदूरों की मौत और कई अन्य के घायल होने की सूचना पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।NHRC, भारत ने 16 मई को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदिनीपुर जिले में एगरा के पास खादिकुल गांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में नौ मजदूरों की मौत और कम से कम पांच अन्य के घायल होने की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। 2023. कथित तौर पर, ग्रामीणों ने दावा किया कि कारखाने का मालिक लंबे समय से पटाखों के अलावा बम बनाने में लगा हुआ है लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण विस्फोट के पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध पटाखों का कारखाना।तदनुसार, इसने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और मृतक व्यक्तियों के निकटतम परिजनों और घायलों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए। एनएचआरसी के बयान में कहा गया है कि आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

17 मई, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना ने भीड़ के गुस्से को भड़का दिया क्योंकि ग्रामीणों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, उन पर फैक्ट्री मालिक के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया, जिन्हें बार-बार अपील करने के बावजूद अवैध फैक्ट्री चलाने की अनुमति दी गई थी। इसका बंद होना। बयान में कहा गया है कि ग्रामीणों ने दावा किया है कि विस्फोट के समय कम से कम 15 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। (एएनआई)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसपी को किया तलब

https://krantiodishanews.in/40069/

कैमूर (बिहार) दलित की सरेराह गोली मारकर हत्या के मामले में NHRC ने पुलिस अधीक्षक कैमूर (भभुआ) को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का सख्त निर्देश जारी किया है। पूरा मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ गांव का है। गांव निवासी दलित रामचंद्र राम पुत्र शोभू एवं मिठाई लाल चौहान राम मंदिर ट्रस्ट भूमि बिबाद में टेंपो से भभुआ कोर्ट आ रहे थे। तभी दुबे के सरैया नदी पुल के पास कुछ लोग टेंपो के आगे और रामचंद्र को उतारकर रॉड लाठी डंडे से मार पीट कर अधमरा कर दिए और गोली मार दी उपचार के दौरान दलित की मौत हो गई।

मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने मामले की शिकायत आयोग में भेजकर दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने एवं मृतक के परिवार को उचित मुवजा दिलाने के लिए अनुरोध किया था। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चीफ सेक्रेटरी विहार सरकार और पुलिस अधीक्षक कैमूर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।बावजूद कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई। आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपने निर्देश में कहा कि मामला एक दलित व्यक्ति की सरेराह हत्या की है जो एक गंभीर प्रकृति का है। संबंधित अधिकारियो द्वारा रिमाइंडर जारी करने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। आयोग ने मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 (ए) के तहत दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक को सम्मन जारी करते हुए दिनांक 14/07/2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है। हालांकि, यदि अपेक्षित रिपोर्ट 07/07/2023 को या उससे पहले प्राप्त हो जाती है, तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी जाएगी।

TIMES OF INDIA, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Docs accused of laxity; NHRC seeks report

https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/docs-accused-of-laxity-nhrc-seeks-report/articleshow/100369620.cms

Chandigarh: Taking suo motu notice of media reports that doctors and senior staff of Guru Nanak Dev Hospital at Amritsar “habitually” leave patients at the mercy of the housekeeping and training staff and depart early, the National Human Rights Commission has issued notice to the Punjab chief secretary calling for a detailed report within four weeks.

The chief secretary has been directed that the report should include the steps taken to address the issue. TNN

NHRC notice to Pb govt over doctors, staff of Amritsar hospital not doing their duty sincerely

https://health.economictimes.indiatimes.com/news/hospitals/nhrc-notice-to-pb-govt-over-doctors-staff-of-amritsar-hospital-not-doing-their-duty-sincerely/100371418

The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of the patients and a matter of its concern.

New Delhi: The NHRC has issued a notice to the Punjab government over reports that doctors and senior staff of a hospital in Amritsar are not doing their lawful duty to attend to patients sincerely, officials said on Friday.The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of the patients and a matter of its concern.The NHRC, in a statement, said it has taken suo motu cognisance of a media report that the doctors and senior staff of the Guru Nanak Dev Hospital (GNDH), Amritsar, are not doing their lawful duty sincerely to attend to patients.

"Most of them habitually leave the patients at the mercy of the housekeeping and training staff and depart early. Reportedly, it is also alleged that the patients are subjected to ill-treatment and threatened that they will be discharged if any complaint is made against them," it said.Accordingly, it has issued a notice to the chief secretary of the government of Punjab, seeking a detailed report in four weeks. It should also include the steps taken or proposed to be taken to address the issue raised in the news report as well as action taken against the doctors and the staff found guilty in the matter, the statement said.

According to the media report, carried on May 17, it takes hours to give prescribed medicines and injections to a patient by the nursing staff of the hospital, it said.

TRIBUNE, Delhi, 20.5.2023
Page No. 22, Size:(2.79)cms X (3.57)cms.

Factory blast: NHRC issues notice to WB

KOLKATA: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to the West Bengal government seeking a detailed report on the explosion in an illegal firecracker factory that left nine persons dead and several others injured, an official said. PTI

The Tribune

Sat
htt

Bhopal news: राष्ट्री य अनुसूचित जनजाति आयोग ने सांची यूनिवर्सिटी को दिया ना◌ोटिस

https://www.rajexpress.co/india/madhya-pradesh/bhopal-news-national-commission-for-scheduled-tribes-gave-notice-to-sanchi-university

University News: आयोग ने नोटिस में समाचार पत्रों में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अन्वेषण जां च कराने का निर्णय किया है।

Notice To Sanchi University: भोपा ल। राष्ट्री य अनुसूचित जनजाति आयोग ने सांची यूनिवर्सिटी में भर्ती गड़बड़ी और आरक्षण में फेरबदल के मामले को संज्ञान में लेते हुए तलब किया है। आयोग ने नोटिस में समाचार पत्रों में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर इस मामले का अन्वेषण जांच कराने का निर्णय किया है। आयोग की ओर से विवि प्रबंधन को समय सीमा में संबन्धित आरोपों पर जानकारी उपलब्ध कराने के नोटिस दिया है । आयोग ने राज्यपाल से भी आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

ए++ श्रेणी प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय

भोपाल केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ए++ श्रेणी प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय होने का गोरव प्राप्त हुआ है।राष्ट्री य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को सर्वोत्कृष्ट ए ++ श्रेणी दी गई हैं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेडी और परिसर के निदेशकों के अथक प्रयासों से यह श्रेणी प्राप्त हुई है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का एक परिसर भोपाल में भी स्थित है। भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. रमाकान्त पाण्डेय के निर्देशन में निरीक्षण की तैयारियां की गई। इस कार्य में परिसर के छात्र, प्राध्यापक, अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारियों के सहयोग से निरीक्षण का कार्य सम्पन्न हुआ।

एसट्रो नाईट टूरिज्मकार्यक्रम में देख सकेंगे ग्रह, तारे और नक्षत्र

इंदिरा गांधी राष्ट्री य मानव संग्रहालय के आवृत्ति परिसर में शनिवार को शाम 6.30 बजे से रात 9 बजे तक एसट्रो नाईट टूरिज्मकार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह रात्रि आकाश अवलोकन कार्यक्रम आम नागरिकों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जा रहा है यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से किया गया है इसके तहत शहरवासी आकाश में विद्यमान ग्रहों तारों और नक्षत्र को देख सकेंगे आयोजकों ने बताया कि नागरिकों में ग्रहों और तारों और नक्षत्रों के बारे में फैली व्रतियों को दूर कर कर खगोल विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क है

TRIBUNE, Haryana, 20.5.2023
Page No. 16, Size:(10.94)cms X (15.44)cms.

Factory blast: NHRC issues notice to WB

KOLKATA: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to the West Bengal government seeking a detailed report on the explosion in an illegal firecracker factory that left nine persons dead and several others injured, an official said. PTI

NEW INDIAN EXPRESS, Bhubaneswar, 20.5.2023
Page No. 5, Size:(22.28)cms X (17.59)cms.

GOPALPUR CUSTODIAL TORTURE

NHRC recommends ₹50K compensation for victims

EXPRESS NEWS SERVICE @Bhubaneswar

THE National Human Rights Commission (NHRC) on Friday recommended compensation of ₹50,000 for a couple which was allegedly tortured at Gopalpur police station in Ganjam district last year.

The apex human rights panel has also asked the DGP to initiate disciplinary action against the then Gopalpur IIC Srikant Khamari and submit a compliance report by July 24. On November 27 last year, a police team from Gopalpur had picked up one Sumant Sahu and his wife from their house at Raikia in Kandhamal district. The couple was taken to Gopalpur police station where they were allegedly tortured.

Acting on a petition filed by human rights defender Rabindra Kumar Mishra, the commission has directed the chief secretary to pay ₹50,000 each to Sumant and his spouse to compensate for their suffering, anxiety and treatment. As per the petition, police had picked up Sumant and his wife following a false complaint lodged by one Smrutirekha Sahu of Raikia. The couple had borrowed ₹4 lakh from Smrutirekha and later paid the principal with interest. However, since the loan agreement remained with Smrutirekha, she had been demanding repayment of the loan again.

"Smrutirekha took the help of the then Gopalpur IIC. A police team picked up the couple and tortured them in custody. After the matter was brought to the notice of Kandhamal SP, a case was registered against Khamari and Smrutirekha. While Khamari was shifted, the SP of Berhampur SP had ordered a probe into the matter," Mishra said. The allegations of torture were found true during enquiry conducted by additional SP of Berhampur and an FIR was registered against the accused police officer.

NHRC issues notice to Bengal govt over 9 deaths in illegal firecracker factory blast

https://www.deccanherald.com/national/east-and-northeast/nhrc-issues-notice-to-bengal-govt-over-9-deaths-in-illegal-firecracker-factory-blast-1220214.html

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to the West Bengal government seeking a detailed report on the explosion in an illegal firecracker factory that left nine people dead and several others injured, an official said.The blast took place at Egra in Purba Medinipur district on May 16.There seems to be a violation of the human rights of the victims of the blast due to negligence on the part of the administration, the NHRC official told PTI.Also Read | Egra firecracker unit blast prime accused dies of burn injuries in Odisha hospitalThe notice was sent to West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi and Director General of Police Manoj Malviya seeking a detailed report in the matter within four weeks, he said.

“We would like to know about the action taken against the delinquent officers, responsible for the tragedy and how much compensation has been paid to the family members of those killed and injured," the official said.

DAINIK BHASKAR, Delhi, 20.5.2023
Page No. 3, Size:(8.53)cms X (12.22)cms.

बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टरों की भूख हड़ताल का मामला

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया सू मोटो नोटिस, रिपोर्ट मांगी

- **गैंगस्टरों ने एडीसी-एसपी के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल वापस ले ली थी**

भास्कर न्यूज | बठिंडा

पिछले दिनों बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टरों की भूख हड़ताल के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने सू मोटो नोटिस लिया है। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है तो कानून के तहत अनुमत कैदियों के बुनियादी मानवाधिकारों के बारे में चिंता का विषय है।

आयोग ने मामले में पंजाब के मुख्य सचिव व डीजीपी जेल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। गौर हो कि बठिंडा हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टरों ने बैरक में टीवी लगाने, परिजनों से 10 की जगह 20 मिनट बात करने के अलावा अन्य सुविधा के लिए भूख हड़ताल की थी। मंगलवार को गैंगस्टरों ने एडीसी-एसपी के आश्वासन बाद भूख हड़ताल वापस ले ली थी।

आयोग ने मीडिया में आई खबरों का सू मोटो नोटिस लेकर कहा कि पता चला है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए बठिंडा जेल के कैदी भूख हड़ताल पर हैं। आयोग ने पंजाब मुख्य सचिव व डीजीपी जेल को नोटिस जारी कर रिपोर्ट जमा करने के आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट में मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अनुसार उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों को शामिल किया जाना चाहिए।

वहीं, आयोग ने अपने विशेष रैपोर्टेयर महेश सिंगला को बठिंडा सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा कि जेल मैनुअल हिसाब से कैदियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए।

BCCI moves to comply with PoSH laws, meeting called to ratify IC panel

https://indianexpress.com/article/sports/cricket/bcci-set-to-ratify-its-posh-policy-and-form-world-cup-working-group-at-sgm-8618354/

The BCCI has called a special general body meeting on May 27 in Ahmedabad and in its five-point agenda, secretary Jay Shah has included “Ratification of Prevention of Sexual harassment policy.”

A few days after the National Human Rights Commission (NHRC) issued a notice to the Board of Control for Cricket in India (BCCI) for non-compliance with the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) Act, the Indian board has now decided to act on this missing piece of legislation.

The BCCI has called a special general body meeting on May 27 in Ahmedabad and in its five-point agenda, secretary Jay Shah has included “Ratification of Prevention of Sexual harassment policy.”

The Indian board doesn’t have an Internal Committee to looks into any allegations of sexual harassment. In 2019, the BCCI had appointed Rajlaxmi Arora as the head of its IC alongwith Saba Karim (BCCI’s then general manager, cricket operations), Rupawati Rao (treasury department) and Veena Gowda (external member). However, since the subsequent dispensation took charge of the board, the BCCI hasn’t re-appointed an IC.

A week ago, taking suo moto cognizance of a report in The Indian Express, that highlighted the non-compliance with the PoSH laws by national sports federations, the NHRC issued notices to the erring bodies as well as the Union Sports Ministry and the BCCI. The NHRC called it a ‘matter of concern’ which could ‘impact the legal right and dignity of sportspersons’, and gave the federations four weeks to submit detailed reports.

In 2021, the Indian board had decided that its officials, players and contracted individuals will come under POSH guidelines. However, it didn’t have any committee to look into allegations.

Meanwhile, the other points which the members will discuss at the GBM are the formation of committees for infrastructure development and subsidy. The BCCI has earmarked more than Rs 500 crore to upgrade stadiums across the country before the 50-over World Cup to be held later this year.

“All existing infrastructure in the country will be upgraded before the World Cup. Assessment of the stadiums has been done to engage with a wider cohort of fans in the

IPL and during the World Cup. So upgrading infrastructure will be done during this period," Shah had said earlier.

अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में नौ लोगों की मौत पर NHRC ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया

https://jantaserishta.com/local/west-bengal/nhrc-issues-notice-to-bengal-govt-over-9-deaths-in-illegal-firecracker-factory-blast-2351158

कोलकाता: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.विस्फोट 16 मई को पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में हुआ था।एनएचआरसी के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि ऐसा लगता है कि प्रशासन की ओर से लापरवाही के कारण विस्फोट के पीड़ितों के मानवाधिकारों का हनन हुआ है।उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय को नोटिस भेजकर चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।हम यह जानना चाहते हैं कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार के सदस्यों को कितना मुआवजा दिया गया है।

MORNING STANDARD, Delhi, 20.5.2023
Page No. 8, Size:(10.37)cms X (14.19)cms.

Rights panel takes note of tribal woman's torture

MUKESH RANJAN @ Ranchi

TAKING suo-moto cognizance over the incident in Palamu where a woman was tonsured, garlanded with shoes and left in the jungle to die after being brutally beaten up by the villagers allegedly for refusing to marry a man of her family's choice in Jogidih village, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Jharkhand government seeking a detailed report in this regard.

This newspaper was the first to report the incident. According to the notice issued to the Chief Secretary (CS) and the Director General of Police (DGP) on May 18, the commission has sought a detailed report within four weeks including the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victim and compensation if any, granted to her.

"The contents of the media report, if true, amounts to a violation of the human rights of the victim at the behest of a village Panchayat. The perpetrators of such an immoral and unlawful act cannot be allowed to go scot-free in a civilized society governed by the rule of law," sated an official communiqué by NHRC.

The authorities are expected to explain in the report the status of the installment of the compensation given to the victim, who is eligible for the same as per the provisions of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, it said.

The official communiqué further added that they are also expected to intimate the status of any counselling provided to the victim, who suffered the trauma of physical pain, humiliation, and social stigma.

The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent officers, responsible for the tragedy, it said.

India News | NHRC Notice to Pb Govt over Doctors, Staff of Amritsar Hospital Not Doing Their Duty Sincerely

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-notice-to-pb-govt-over-doctors-staff-of-amritsar-hospital-not-doing-their-duty-sincerely-5140319.html

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The NHRC has issued a notice to the Punjab government over reports that doctors and senior staff of a hospital in Amritsar are not doing their lawful duty to attend to patients sincerely, officials said on Friday.

New Delhi, May 19 (PTI) The NHRC has issued a notice to the Punjab government over reports that doctors and senior staff of a hospital in Amritsar are not doing their lawful duty to attend to patients sincerely, officials said on Friday.The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of the patients and a matter of its concern.

The NHRC, in a statement, said it has taken suo motu cognisance of a media report that the doctors and senior staff of the Guru Nanak Dev Hospital (GNDH), Amritsar, are not doing their lawful duty sincerely to attend to patients.

"Most of them habitually leave the patients at the mercy of the housekeeping and training staff and depart early. Reportedly, it is also alleged that the patients are subjected to ill-treatment and threatened that they will be discharged if any complaint is made against them," it said.

Accordingly, it has issued a notice to the chief secretary of the government of Punjab, seeking a detailed report in four weeks. It should also include the steps taken or proposed to be taken to address the issue raised in the news report as well as action taken against the doctors and the staff found guilty in the matter, the statement said.According to the media report, carried on May 17, it takes hours to give prescribed medicines and injections to a patient by the nursing staff of the hospital, it said.

PRABHAT KHABAR, Kolkata, 20.5.2023
Page No. 2, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

एगरा ब्लास्ट. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

चार सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव व डीजीपी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

कोलकाता/नयी दिल्ली. पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में अवैध पटाखे की फैक्टरी में विस्फोट में नौ लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि बंगाल सरकार इस मामले में चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे और यह बताये कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है. रिपोर्ट के अनुसार गत 16 मई को पूर्व मेदिनीपुर जिले में एगरा के पास खादिकुल गांव में एक अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में नौ मजदूरों की मौत हो गयी और कम से कम पांच अन्य घायल हो गये. कथित तौर पर, ग्रामीणों ने दावा किया कि कारखाने का मालिक लंबे समय से पटाखों के अलावा बम बनाने में लगा हुआ था, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

आयोग ने देखा कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो यह संबंधित लोक अधिकारियों, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अवैध आतिशबाजी कारखाने के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, द्वारा लापरवाही के कारण विस्फोट के पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है. तदनुसार, आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

इसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी, पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधी और घायलों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, की स्थिति शामिल होनी चाहिए. आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा. 17 मई की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना से भीड़ में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने पुलिस के साथ हाथापाई की. उन पर फैक्टरी मालिक, जिसे बार-बार अवैध फैक्टरी बंद करने की अपील के बावजूद अवैध फैक्टरी चलाने की अनुमति दी गयी थी, से मिलीभगत का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने दावा किया है कि विस्फोट के समय कम से कम 15 मजदुर अंदर काम कर रहे थे.

एगरा थाने के आइसी का किया गया स्थानांतरण

हल्दिया/एगरा. खादीकुल गांव में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट की घटना के तीन दिनों बाद यानी शुक्रवार को एगरा थाने के आइसी (इंस्पेक्टर इन चार्ज) मौसम चक्रवर्ती का स्थानांतरण कर दिया है. एगरा थाने के नये आइसी स्वप्न गोस्वामी को बनाया गया है, जो हुगली में साइबर क्राइम थाने के आइसी के पद पर कार्यरत थे. इधर, मौसम चक्रवर्ती को हुगली रुरल (पीडी) में इंस्पेक्टर पद पर ही स्थानांतरित किया गया है. शुक्रवार को इस बारे में पुलिस विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गयी.

एगरा में पुलिस ने किया एक और अवैध पटाखा कारखाने का भंडाफोड़

हल्दिया/एगरा. पूर्व मेदिनीपुर के एगरा के खादीकुल गांव में मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि घटना में गंभीर रूप से घायल फैक्टरी का मालिक व मुख्य आरोपी कृष्णपद बाग उर्फ भानु की मौत गुरुवार देर रात हो गयी. इस घटना के कुछ दिन भी नहीं बीते थे, कि एगरा में एक और अवैध पटाखा कारखाने का पता चला. पुलिस ने एगरा के जामगां गांव स्थित एक परित्यक्त मकान से भारी परिमाण में पटाखा बनाने का बारूद व अन्य सामान बरामद किया है. स्थानीय निवासी चैतन्य मान्ना पर आरोप लग रहा है कि वह उक्त मकान में लंबे समय से अवैध तरीके से पटाखा बनाने के कार्य से जुड़ा था. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

सीआइडी ने एफआइआर में जोड़ी तीन नयी धाराएं

कोलकाता. एगरा ब्लास्ट मामले में सीआइडी की ओर से शुक्रवार को अदालत से अनुमति लेकर इसमें तीन नयी धाराएं जोड़ी गयीं. तीन धाराओं में आइपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी जोड़ी गयी है. लेकिन विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की किसी भी धारा को इसमें शामिल नहीं किया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा इसमें क्यों नहीं जोड़ी गयी है. इसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है.

SENTINAL, Guwahati, 20.5.2023
Page No. 7, Size:(17.49)cms X (11.83)cms.

State convention of NHRCCB

A CORRESPONDENT

JAMUGURIHAT, May 19: The convention of National Human Rights and Crime Control Bureau is going to be held on May 21 in Guwahati. The convention will be organized by the National Human Rights and Crime Control Bureau. State president of NHRCCB Nisant Thard stated that the Governor of Assam will attend the occasion. On the auspicious day, the Assam Human Rights Special Award will be presented to Padma Hazirika, MLA, Sootea constituency and Chairman of Kanyaka and Garukhuti Projects for initiating the agricultural revolution across the state. Along with him, the award will be presented to Surjit Roy Chowdhury, Senior Vice President and Chief Zonal Officer, Kolkata Regional Branch of Bandhan Bank for contributing financially for women empowerment of Assam and Swasti Bidhan Baruah, Advocate, Guwahati High Court.

The association will also extend sincere honour to the Cabinet Minister Sanjay Kishan and former IPS officer Violet Barua. The convention will be attended by the National President of NHRCC Dr Randhir Kumar and Secretary Sanjeev Kumar and Legal Advisor of the National Bureau of Human Rights and Crime, Advocate of the Supreme Court of India Dr Jyoti Jonglulu. The convention will be attended by journalists who have been helping the departmental authorities as well as the public through media to convey the work of the National Human Rights and Crime Control Bureau, Assam in recent past.

JANSATTA, Lucknow, 20.5.2023
Page No. 12, Size:(8.92)cms X (11.39)cms.

आदिवासी युवती को यातनाएं, झारखंड सरकार को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 मई।

परिवार वालों की इच्छा से विवाह न करने वाली आदिवासी युवती के साथ किए गए अत्याचार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की इस बाबत छपी खबर का खुद संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है।

खबर में कहा गया था कि पलामू जिले के जोगीडीह गांव पंचायत ने लड़की का सिर मुंडवाया कर गले में जूतों की माला पहना जलूस निकाला गया और पिटाई भी की। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार हफ्ते के भीतर इस घटना के बारे में विस्तृत विवरण मांगा है।

जनसत्ता Sat, 20 M
https://e

INDIA TODAY, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Human rights body seeks report on Bengal firecracker factory blast that killed 9

https://www.indiatoday.in/india/story/firecracker-explosion-west-bengal-factor-illegal-human-rights-2381522-2023-05-19

The National Human Rights Commission issued notices to Bengal's chief secretary and the state's Director General of Police, seeking a report on the explosion at a firecracker factory on Tuesday.

By Indrajit Kundu: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo-moto cognizance of the fire that took place at an illegal firecracker factory in East Midnapore district, leading to an explosion that killed nine people. The incident took place on May 16 at Egra in East Midnapore.

The NHRC has issued notices to the West Bengal Chief Secretary and the Director General of Police and sought a detailed report on the matter within 4 weeks. The human rights body has also sought details of the status of the FIR registered by police, medical records of victims and details of compensation granted by the state.

"Reportedly, the villagers claimed that the owner of the factory had long been engaged in the making of bombs, besides fireworks, but no visible action was taken by the authorities despite complaints. The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of the human rights of the victims of the explosion due to the negligence of the concerned public authorities, who apparently did not take any action against the owner of the illegal fireworks factory," the rights body said in a statement on Friday.

The Commission has also sought an Action Taken Report (ATR) against the "delinquent" officers who were responsible for the lapse that led to the tragedy.

The NHRC notice comes on a day when the main accused in the case, Krishnapada Bag alias Bhanu Bag, succumbed to his injuries and died in Odisha.

He was undergoing treatment at a hospital in Cuttack after he fled the state to Odisha post the blast at his illegal firecracker factory.

He was traced by the Bengal police at a hospital in Cuttack. A team of Criminal Investigation Department (CID) officials reached the private hospital where he was admitted and was detained.

RASHTRIYA SAHARA, Lucknow, 20.5.2023
Page No. 11, Size:(21.22)cms X (17.53)cms.

रेप पीड़िता की छोटी बहन को धमकाने का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

■ लखनऊ (एसएनबी)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेप पीड़िता नावालिग की छोटी वहन सहित पूरे परिवार को धमकाने-जान से मारने की शिकायत को गंभीरता से लिया है। एनएचआरसी ने इस संवंध में 17 मई एक्शन लेते हुए संवंधित पुलिस अधीक्षक को आठ सप्ताह में जांच कर जरूरी कार्रवाई करने व संवंधित रिपोर्ट से अवगत कराने का आदेश किया है।

प्रकरण पिछले दिनों रेप का शिकार हुई वहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र की एक नावालिग लड़की की छोटी वहन शवनम (काल्पनिक नाम) को धमकाने से संवंधित है। शवनम ने शिकायत की कि मंसूरगंज निवासी दवंग सलमान ने विगत 26 फरवरी की रात सवा आठ वजे मां की नामौजूदगी में जवरन घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया. गालियां दी। मां को वुलाने को कहा। उसने वड़ी नावालिग वहन के साथ वलात्कार में जेल गये हजरतद्दीन के मुकदमे में सुलह लगाने, अन्यथा इज्जत लेने व सवको जान से मारने की धमकी दी।

घटना से व्यथित-परेशान मां जानकारी पाकर छोटी वेटी शवनम साथ शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन उसे भगा दिया गया। वाद में मां ने विगत 27 अप्रैल को एसपी वहराइच के यहां भी आवेदन किया, लेकिन गुहार नहीं सुनी गई। इस पर विकासनगर (लखनऊ) स्थित स्वयंसेवी संस्था भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं उन्मूलन परिषद के अध्यक्ष एके त्रिपाठी ने 14 मई को पीड़िता के मामले की शिकायत एनएचआरसी से की।

■ पुलिस अधीक्षक को आठ सप्ताह में प्रकरण को निस्तारित कर रिपोर्ट से अवगत कराने का आदेश

■ बहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र का मामला

एनएचआरसी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए 17 मई को 8 सप्ताह के अंदर उचित एक्शन लेते हुए शिकायत को निस्तारित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक वहराइच को दिये हैं। प्रकरण की जांच में पीड़िता व शिकायतकर्ता का सहयोग लेने व उन्हें इससे अवगत कराने को भी कहा गया है।

इस प्रकरण में शवनम की वड़ी नावालिग वहन के साथ रेप प्रकरण में भी एनएचआरसी के हस्तक्षेप से ही आरोपित हजरतद्दीन के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रेप सहित अन्य धाराओं व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। चार्जशीट दाखिल। मुकदमा लंवित है। गवाही के दौर चल रहे हैं।

आरोप है कि जेल में वंद हजरतद्दीन वरावर धमका रहा है। सलमान को भी हजरतद्दीन का ही मददगार वताया गया। परेशान मां ने इस मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने पर उन लोगों की इज्जत व जान लेने का शुवहा जताया है।

आदिवासी लड़की से मारपीट, एनएचआरसी का राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस

https://hindi.dynamitenews.com/story/tribal-girl-assaulted-nhrc-notice-to-state-government-and-dgp

[पूरी ख़बर यहाँ से पढ़ें: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को झारखंड सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को मीडिया में प्रसारित उन खबरों को लेकर नोटिस भेजा है, जिसमें एक आदिवासी लड़की के अपने परिवार के पसंद के लड़के से शादी करने से मना करने के बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, सिर मुंडवाया दिया और गले में जूते की माला डालकर गांव में घुमाया गया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को झारखंड सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को मीडिया में प्रसारित उन खबरों को लेकर नोटिस भेजा है, जिसमें एक आदिवासी लड़की के अपने परिवार के पसंद के लड़के से शादी करने से मना करने के बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, सिर मुंडवाया दिया और गले में जूते की माला डालकर गांव में घुमाया गया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि कथित घटना झारखंड के पलामू जिले में जोगिडीह ग्राम पंचायत के फरमान पर हुई।आयोग के मुताबिक, एनएचआरसी ने मीडिया की उन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया और कहा, 'इस तरह के एक अनैतिक और गैरकानूनी कृत्य करने वाले अपराधियों को कानून के शासन द्वारा शासित एक सभ्य समाज में बख्शा नहीं जा सकता है।'आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ित लड़की का उपचार और मुआवजा आदि के बारे में जानकारी मांगी गई है।

HINDU, Mumbai, 20.5.2023
Page No. 12, Size:(5.68)cms X (4.96)cms.

NHRC notice over deaths in West Bengal fireworks factory

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, West Bengal, calling for a detailed report in the matter of deaths of nine labourers in an explosion in an illegal fireworks factory at Khadikul village in East Midnapore district. According to reports, the incident of explosion in the factory triggered mob fury as the villagers scuffled with the police, accusing them of a nexus with the factory owner. The villagers alleged that the owner of the factory has been engaged in the making of bombs but no visible action was taken by the authorities.

TIMES OF INDIA, Chandigarh, 20.5.2023
Page No. 10, Size:(9.87)cms X (19.06)cms.

Docs accused of laxity; NHRC seeks report

Chandigarh: Taking suo motu notice of media reports that doctors and senior staff of Guru Nanak Dev Hospital at Amritsar "habitually" leave patients at the mercy of the housekeeping and training staff and depart early, the National Human Rights Commission has issued notice to the Punjab chief secretary calling for a detailed report within four weeks.

The chief secretary has been directed that the report should include the steps taken to address the issue. TNN

NAV-BHARAT, Mumbai, 20.5.2023
Page No. 2, Size:(5.77)cms X (5.20)cms.

हेमंत सरकार को नोटिस

आदिवासी लड़की प्रताड़ना केस, NHRC ने लिया संज्ञान

■ **रांची,** एजेंसियां. पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी युवती को प्रताड़ित करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे प्रकरण में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी, पीड़िता के उपचार, मुआवजा तथा पीड़िता की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को कहा है. आयोग ने घटना के लिए दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है. युवती ने परिजनों की पसंद से शादी करने से इनकार कर दिया था और घर से भाग गई थी. 20 दिन बाद जब लौटी तो गांव में पंचायत बैठी और युवती के बाल काटने और चूना का टीका लगाकर गांव में घुमाने का फरमान सुनाया गया. इसके बाद युवती को जंगल भगा दिया गया. पुलिस ने युवती को जंगल से बरामद किया था.

3 की गिरफ्तारी

पुलिस ने आदिवासी लड़की को प्रताड़ित करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. युवती के पिता नहीं हैं. वह गांव में अपने भाई, भाभी और मां के साथ रहती है. घरवालों ने उसकी कहीं शादी तय कर दी थी लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी. शादी वाले दिन वह कहीं भाग गई. बाद में अपनी बहन के घर चली गई. बहन ने फोन कर मायके में युवती के उसके पास होने की जानकारी दी.

TRIBUNE, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

SC defers scientific study of 'Shivling' at Gyanvapi

https://www.tribuneindia.com/news/nation/sc-defers-scientific-study-of-shivling-at-gyanvapi-509364

New Delhi: The Supreme Court on Friday put on hold the Allahabad High Court order allowing the scientific examination of a 'Shivling' claimed to have been found at Varanasi's Gyanvapi mosque.

Factory blast: NHRC issues notice to WB

kolkata: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to the West Bengal government seeking a detailed report on the explosion in an illegal firecracker factory that left nine persons dead and several others injured, an official said. PTI

KCR announces plan to expand BRS base

Nanded (maharashtra): Continuing his focus on Maharashtra, BRS chief and Telangana CM K Chandrasekhar Rao on Friday announced a month-long programme to expand his party across the western state. IANS

ABP LIVE/JANTA SE RISHTA

Jharkhand: आदिवासी लड़की से मारपीट का मामला, NHRC का राज्य सरकार और DGP को नोटिस

https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-tribal-girl-assault-case-nhrc-notice-to-state-government-and-dgp-2411489

https://jantaserishta.com/local/jharkhand/nhrc-notice-to-jharkhand-govt-dgp-over-assault-on-tribal-girl-2350421

NHRC: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि कथित घटना झारखंड के पलामूजिले में जोगिडीह ग्राम पंचायत के फरमान पर हुई. आयोग के मुताबिक, एनएचआरसी ने मीडिया की उन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया.

Jharkhand News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने गुरुवार को झारखंड सरकार (Jharkhand Govt) और राज्य के पुलिस प्रमुख को मीडिया में प्रसारित उन खबरों को लेकर नोटिस भेजा है, जिसमें एक आदिवासी लड़की के अपने परिवार के पसंद के लड़के से शादी करने से मना करने के बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, सिर मुंडवाया दिया और गले में जूते की माला डालकर गांव में घुमाया गया.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि कथित घटना झारखंड के पलामू (Palamu) जिले में जोगिडीह ग्राम पंचायत के फरमान पर हुई. आयोग के मुताबिक, एनएचआरसी ने मीडिया की उन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया और कहा, 'इस तरह के एक अनैतिक और गैरकानूनी कृत्य करने वाले अपराधियों को कानून के शासन द्वारा शासित एक सभ्य समाज में बख्शा नहीं जा सकता है.'

आयोग ने चार सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ित लड़की का उपचार और मुआवजा आदि के बारे में जानकारी मांगी गई है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिस बात का जिक्र किया गया है, अगर उसमें सच्चाई है, तो ग्राम पंचायत के इशारे पर पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है.

आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जो रिपोर्ट मांगी है, उसमें पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर की स्थिति, पीड़ित लड़की के इलाद और मुआवजा आदि के बारे में जानकारी मांगी गई है. आयोग ने कहा कि वो ये भी जानना चाहता है कि इस दुःखद घटना के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है.

KHABAR HUB, Online, 20.5.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC calls to protect MP Gautam's life

https://english.khabarhub.com/2023/20/304479/

KATHMANDU: The National Human Rights Commission (NHRC) has called on the government to address the demands raised by the member of the House of Representatives, Sanjay Kumar Gautam, who is on a hunger strike and thereby save his life.

During the on-site monitoring of the hunger strike, the NHRC Lumbini Province Branch Office, Nepalgunj noticed serious problems with his health, and has urged him to resolve the problem through negotiations and pay attention to saving his life.

"The NHRC urges the Government of Nepal to ensure the right of development of the common citizens by addressing the reasonable demands raised by Parliamentarian Gautam through meaningful dialogue," reads a press statement released by Dr Tikaram Pokharel, the spokesperson of the NHRC.

Gautam is a member of the House of Representatives elected from Bardiya constituency No. 1.

He has been on a hunger strike for the past seven days in Bardiya putting forth a 15-point demand under the campaign– 'Save our Bardiya: Make better Bardiya'.